

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची - 834 004

पत्रांक- 07/मंसं-ICDS-क्रमिप्रशि-348/2026- 973/65 (स्वी०)

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 17-07-2026

विषय :- राज्य के महिला पर्यवेक्षिकाओं के Job Training Course संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रु०-2,73,99,600.00 (दो करोड़ तिहतर लाख निर्यान्वे हजार छह सौ रुपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति तथा एतद् निमित्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजनान्तर्गत [स्कीम कोड-राज्यांश (2159)] प्रशिक्षण व्यय इकाई अधीन राज्य मद में रु०-2,73,99,600.00 (दो करोड़ तिहतर लाख निर्यान्वे हजार छह सौ रुपये) मात्र राशि के व्यय की स्वीकृति।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली, 2019 के धारा-26 (i) के आलोक में तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देश अनुरूप विभाग अन्तर्गत कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं को आधारभूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है। इस निमित्त इनके नियुक्ति प्राधिकार निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा विभाग अन्तर्गत कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं को Job Training Course (JTC) संबंधी प्रदेयता की आवश्यकता दर्शाते हुए राज्य सरकार के तत्वावधान में संचालित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर इन कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

2. निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (SPNIWCD) द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं राज्य की आवश्यकताओं आधारित गठित पाठ्यचर्चा के अनुरूप सम्प्रति 902 महिला पर्यवेक्षिकाओं को चरणबद्ध तरीके से 50-50 की बैच के 18 बैचों में प्रति बैच 26 दिवसीय Job Training Course (JTC) प्रशिक्षण SIRD के तत्वावधान में प्रदान करने हेतु एक कार्य योजना गठित की गई है।

एतद् प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रशिक्षित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, SIRD के संकाय सदस्यों, SPNIWCD के क्षेत्रीय विशेषज्ञों सहित UNICEF और अन्य तकनीकी सहयोगी संस्थाओं के प्रशिक्षकों इत्यादि संबंधी संसाधनीय सहयोग से सम्पादित कराये जाने की कार्य योजना है। (प्रस्ताव एवं Module की प्रति संलग्न)

3. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-454, दिनांक-27.06.2024 तथा इनके कार्यालय से प्राप्त जानकारी आधारित समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड द्वारा निम्न व्यय बजटीय कार्य योजना तैयार की गई है -

Sr. No.	Particulars	Unit	Rate (INR)	Days	Amount (INR)
1	Meeting Hall	1	15,000.00	26	390000
2	Rooms	25	500	26	325000

Sr. No.	Particulars	Unit	Rate (INR)	Days	Amount (INR)
3	Fooding Charges	50	427	26	555100
4	Training Kit	50	700	1	35000
5	Support Staff *(01 Technical & 01 Non- Technical Combined)	1 (02 persons)	550 (300+250)	26	14300
6	Resource Person Fees	one day 4 classroom sessions, hence for 26 working days 104 session will be required.	1200.00 per classroom session. (In 1 day 4 classroom session will be required and for for 26 working days 104 class room sessions will be required in total)	26	124800
7	Vehicles, Photography, Videography and other facilitation charges **(Approx 3000 Rs per day)				78000
Total cost of 1 batch					15,22,200.00
Total Cost of 18 batches of total 902 Lady Supervisors					2,73,99,600.00

* As communicated by Social Welfare Directorate, Jharkhand.

** As communicated by Social Welfare Directorate, Jharkhand on basis of information of SIRD.

4. विचारित प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्य-दक्षता को सुदृढ़ एवं दायित्व निर्वहन की गुणवत्ता को सशक्त करेगा। साथ ही इससे महिला पर्यवेक्षिकाओं को बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण, डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली तथा प्रभावी पर्यवेक्षण से संबंधित अद्यतन ज्ञान एवं व्यवहारिक कौशल प्राप्त होगा जिससे जमीनी स्तर पर विभिन्न केन्द्र प्रायोजित तथा राज्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं परिणामों में उल्लेखनीय सुधार आयेगा।

5. उपर्युक्त तथ्यों एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड के अधिसूचनांक-1269, दिनांक-21.09.2023 के कंडिका-1.1 के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है -

- राज्य में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं को 26 दिवसीय Job Training Course (JTC) प्रशिक्षण SIRD के तत्वावधान में प्रदान किया जायेगा। एतद् हेतु रु०-2,73,99,600.00 (दो करोड़ तिहतर लाख निर्यान्वे हजार छह सौ रुपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- एतद् प्रशिक्षण कार्यक्रम समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड द्वारा गठित कार्य- योजना एवं Module (कार्य-योजना एवं Module की प्रति संलग्न) के अनुरूप सम्पादित कराये जायेंगे।
- उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादन के क्रम में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) के प्रवृत्त व्यय दर के आधार पर तथा वास्तविक कार्यों के विरुद्ध व्यय कराया जायेगा। इस क्रम में संबंधित राज्यादेशों के अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- एतद् कार्यक्रम हेतु व्यय का वहन राज्य योजना अधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजनान्तर्गत [स्कीम कोड-राज्यांश (2159)] उपयुक्त बजटीय शीर्ष अधीन प्रावधानित निधि से सम्पादित कराया जायेगा।

6. राज्य योजना अधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजनान्तर्गत उपर्युक्त कार्यक्रम पर चालू वि०व०-2026-27 में रु०-273.996 लाख का व्यय अनुमानित है।

7. योजना कार्यान्वयन पर आगत व्यय का वहन हेतु निधि राज्य मद के निम्न शीर्ष :-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-BK- आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजना ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उप शीर्ष-BK- आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजना ;

- के उपयुक्त शीर्षों/इकाईयों अधीन विकलनीय होगी।

8. एतद् संबंधी प्रावधान स्वीकृत्यादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

9. राज्य योजना अधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 में प्रशिक्षण व्यय इकाई अधीन TSP में रु०-260.00 लाख तथा OSP में रु०-240.00 लाख अर्थात् कुल रु०-500.00 लाख का बजटीय प्रावधान प्राप्त है।

10. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण व्यय इकाई अधीन राज्य मद में TSP में रु०-145.00 लाख तथा OSP में रु०-128.996 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वि०व०-2026-27 में उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु राज्य मद के निम्नवत् शीर्षों/इकाईयों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी :-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-BK- आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजना, उपयोजना शीर्ष-00- आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजना, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, इकाई-35-प्रशिक्षण व्यय,

(विपत्र कोड-60S223502796BK000335);

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उप शीर्ष-BK- आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजना, उपयोजना शीर्ष-00-आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजना, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, इकाई-35-प्रशिक्षण व्यय,

(विपत्र कोड-60S223502102BK000335) ;

12. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभाग स्तर पर विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय स्तर पर समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा जिलों में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी होंगे तथा जिन जिलों में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नहीं होंगे, वहाँ उपायुक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

13. इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत राज्यादेशों/दिशा-निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार किया जाएगा।

14. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्र सं० - 903 दिनांक 02.03.2002 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि यदि वे यह देखें कि नई ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

15. एतद् संबंधी प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री तथा विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-07/म०स०-ICDS-क्रमि०प्रशि०-348/2026-

राँची, दिनांक :

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड/विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

सरकार के सचिव



ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 973

पत्रांक संख्या :- 65

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 17/07/2026

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

UMA SHANKAR SINGH
SECRETARY

PROJECT BUILDING, DHURWA, RANCHI – 834 004

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार, झारखण्ड का कार्यालय,
पोस्ट - डोरंडा, राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : राज्य के महिला पर्यवेक्षिकाओं के JOB TRAINING COURSE संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रु०-2,73,99,600.00 (दो करोड़ तिहतर लाख निन्यान्वे हजार छह सौ रूपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति तथा एतद् निमित्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजनान्तर्गत [स्कीम कोड-राज्यांश (2159)] प्रशिक्षण व्यय इकाई अधीन राज्य मद में रु०-2,73,99,600.00 (दो करोड़ तिहतर लाख निन्यान्वे हजार छह सौ रूपये) मात्र राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के, राज्य स्कीम के मुख्यशीर्ष - 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपमुख्य शीर्ष - 02-समाज कल्याण राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि	
102-बाल कल्याण	□1,28,99,600.00	
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□1,45,00,000.00	
कुलराशि :-		□2,73,99,600.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
60S223502102BK0335	BK - आंगनवाड़ी केंद्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन	35 - प्रशिक्षण व्यय	
60S223502796BK0335		35 - प्रशिक्षण व्यय	

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता, अनुदान, वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

